न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी, श्रीमती मृदुला शेखावत आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 123/2025
जीसीएमएस सं. – 2025/142

–:: प्रार्थी ::–
धनश्याम पुत्र जगदीश जाति ब्राह्मण
निवासी शीतला माता मन्दिर के पास
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–
भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़
शहर जिला जोधपुर।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम

दर्ज तारीख :– 06.05.2025

उपस्थित अधिवक्ता :–
1. श्री मन्सुर अली छीपा अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक : 17/06/25

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र धारा 111, 128 भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का पेश किया है कि यह है कि ग्राम जवासिया पटवारी क्षैत्र रियां तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 467 रकबा 0.1398 हैक्टयर किस्म बारानी, खसरा नम्बर 493 रकबा 0.2922 हैक्टयर किस्म बारानी कुल खसरे 02 कुल रकबा 0.4320 हैक्टयर कृषि भूमि आई हुई हैं जो राजस्व रेकर्ड के खाता सं नया 78 पुराना 79 पर प्रार्थी के नाम से इन्द्राज सुदा है । प्रार्थी के खसरा नम्बर 467 व 493 का दिनांक 10.03.2025 को सीमाज्ञान हो चुका है व प्रार्थी अपने उक्त खेतो की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है प्रार्थी के खेतो के पूर्वी व पश्चिमी माठ के खातेदार प्रार्थी को सीमाज्ञान के अनुसार दिवार निकालने व तारबंदी करने में बाधा पहुचाते है व दिनांक 10.03.2025 के सीमाज्ञान को नही मानते हुए प्रार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा करते है व प्रार्थी जब दिनांक 24. 04.2025 को अपने खेतो की सीमाज्ञान के अनुसार तारबंदी कर रहा था तब पश्चिमी माठ के खातेदारो की लड़ाई झगड़ा किया व प्रार्थी के साथ मारपीट व लूट पाट की जिस पर प्रार्थी ने पुलिस थाना पीपाड़ शहर में मुकदमा भी दर्ज करवाया जो एफआईआर सं. 125/2025 है। प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 493 व 467 की पत्थरगढ़ी व वापस सीमाकंन करवाना चाहता जिससे किसी पक्ष को कोई नुकसान नही है तथा प्रार्थी अपने खेतो की पत्थरगढ़ी एवं सीमाज्ञान करवाने हेतु नियमानुसार शुल्क जमा करवाने हेतु तैयार हैं। अतः श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि ग्राम जवासिया पटवार क्षेत्र रिया तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 493 रकबा 0.2922 हैक्टेयर व खसरा संख्या 467 रकबा 0. 1398 हैक्टेयर का सीमाज्ञान एवं पत्थरगडी किये जाने के सादर आदेश फरमाए जावे व भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जावे की पत्थरगढ़ी एवं सीमाज्ञान कर आदेश कर पालना करते हुए पालना रिपोर्ट अविलम्ब न्यायालय में पेश करे व पड़ौसी खातेदारो द्वारा यदि कोई विवाद किया जाता है तो पुलिस इमदाद के साथ सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किय गयां । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख ग्राम जवासिया की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2081 की खाता सं. 78 खसरानम्बर 467 रकबा 0.1398 व 493 रकबा 0.2922 कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.4320 हैक्टयर भूमि घनश्याम पुत्र जगदीश जाति ब्राह्मण सा. पीपाड़ शहर खातेदार कृषि भूमि से सम्बन्धित हैं जो राजस्व अभिलेख अनुसार स्वीकार्य हैं। प्रार्थी को तहसील कार्यालय के आदेश अनुसार पटवारी रियां ग्राम द्वारा दिनांक 10.03.2025 को सीमांकन करवाया जा चुका है। पड़ौसी खातेदारान से विवाद एवं पुलिस मुकदमा प्रार्थी से स्वयं से सम्बन्धित हैं। प्रार्थी घनश्याम पुत्र जगदीश अपने खातेदारी खसरान ग्राम जवासिया के खसरा नम्बर 493 एवं 467 का सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है जो नियमानुसार करवायी जा सकता है एवं इसलिये वाद दायर किया गया हैं। प्रार्थी को ग्राम जवासिया के खसरानम्बर 493 व 467 का सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी करवाया जा सकता है हाल ही में विवादित होने से पुलिस इमदाद के साथ अनुशंषा की जाती हैं।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दिये गये बिन्दुओ को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 493 व 467 कुल रकबा 0.4320 हैक्टयर की पत्थरगढ़ी एवं सीमाज्ञान करवाये जाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया हैं।

हमने बहस वकील प्रार्थी सुनी, प्रार्थना पत्र मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया कि वादग्रस्त आराजी के खेत खसरा नम्बर 493 व 467 कुल रकबा 0.4320 हैक्टयर प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि हैं। जिसका सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी कराने का पूर्ण अधिकारी हैं । अतः तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता हैं कि पुलिस इमदाद के साथ राजस्व ग्राम जवासिया के खसरा नम्बर 467 रकबा 0.1398 हैक्टयर किस्म बारानी, खसरा नम्बर 493 रकबा 0.2922 हैक्टयर किस्म बारानी कुल खसरे 02 कुल रकबा 0. 4320 हैक्टयर भूमि की पत्थरगढ़ी एवं सीमाज्ञान कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 17/06/25 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Revenue case
Ref-
13/06/

क्रमांक / भू.अ. / 2025 / 2848 दिनांक 30/5/25

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
पीपाड़ शहर

विषय!- राजस्व वाद संख्या 123/2025 घनश्याम बनाम तहसीलदार धारा 111, 128 LR Act 1956 में जवाब तैयार कर भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है की राजस्व प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 123/2025 धारा 111, 128 LR Act 1956 के अधीन घनश्याम बनाम तहसीलदार में जवाब बिन्दुवार तैयार कर भिजवाया जा रहा है।

(1) बिन्दु संख्या 1 राजस्व अभिलेख ग्राम जवासीया की वर्तमान जमाबंदी संवत 2081 की खाता संख्या 78 खसरा संख्या 467 रकबा 0.1398 एवं 493 रकबा 0.2922 कुल खसरा (2) कुल रकबा 0.4320 हैक्टयर भूमि घनश्याम पुत्र जगदीश जाति ब्राह्मण सा. पीपाड़ शहर खातेदार कृषि भूमि से सम्बन्धित है जो राजस्व अभिलेख

तहसीलदार पीपाड़ शहर
जिला जोधपुर

अनुसार स्वीकार्य है।

(2) बिन्दु संख्या ② अनुसार प्रार्थी को तहसील कार्यालय के आदेश अनुसार पटवारी रिया द्वारा दिनांक 10.3.25 को सीमांकन करवाया जा चुका है।

पड़ौसी खातेदारान से विवाद एवं पुलिस मुकदमा प्रार्थी से स्वयं से सम्बन्धित है।

(3) बिन्दु सं. ③ अनुसार प्रार्थी घनश्याम S/o जगदीश अपने खातेदारी खसरान ग्राम जवासीया के खसरा क्रमांक 493 एवं 467 का सीमांकन एवं पत्थरगड्डी करवाना चाहता है. जो नियमानुसार करवायी जा सकता है एवं इसलिये वाद दायर किया गया है।

(4) बिन्दु सं. ④ क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित है।

(5) बिन्दु सं. ⑤ न्यायालय शुल्क से सम्बन्धित है।

प्रार्थी को ग्राम जवासीया के खसरा क्रमांक 493 एवं 467 का सीमांकन एवं पत्थर गडी करवाया जा सकता है।

खेत ही में विवादित होने से पुलिस मुकदमे के [illegible] आवश्यक [illegible] जानी है

सादर

[illegible]
जिला-जोधपुर (राज.)

श्रीमान तहसीलदार साहब

पीपाड़ शहर

विषय :- राजस्व वाद 123/25 घनश्याम बनाम तहसीलदार में जवाब तैयार कर भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है की श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय पीपाड़ शहर के यहाँ विचाराधीन वाद संख्या

अनवान घनश्याम पुत्र जगदीश बनाम तहसीलदार पीपाड़शहर प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 L.R. Act 1956 का जवाब बिन्दुवार निम्न है !-

(1) राजस्व अभिलेख ग्राम जवासीया के खसरा क्रमांक 467 रकबा 0.1398 किल्ला बारानी, खसरा क्रमांक 493 रकबा 0.2922 किल्ला बारानी कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.4320 से सम्बन्धित है। राजस्व अभिलेख अनुसार स्वीकार्य है।

(2) प्रार्थीगणो के खसरा क्रमांक 467 एवं 493 का सीमाज्ञान हो चुका है। पड़ोसी खातेदारान से विवाद होने के का पत्थरगड़ी का विस्तार के बाद प्रस्तुत कीया है।

(3) प्रार्थी अपने खातेदारी क्रमांक ग्राम जवासीया के खसरा क्रमांक 467 एवं 493 की पत्थरगड़ी करवाने

हेतु वाद प्रस्तुत किया है।

(4) क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित है।

(5) न्यायालय शुल्क से सम्बन्धित है।

प्रार्थी घनश्याम s/o जगदीश ने अपने खातेदारी खसरा क्रमांक ग्राम जवासीया के खसरा क्रमांक 467 एवं 493 रकबा कुल 0.4320 की पत्थरगड्डी करवाने हेतु वाद दायर किया है।

ग्राम जवासीया के खसरा क्रमांक 467 रकबा 0.1398 एवं खसरा क्रमांक 493 रकबा 0.2922 का सीमांकन एवं पत्थरगड्डी किया जाना उचित है।

सादर

ILR कुलकर्णी

ज. त्रिपाठी

पटवारी रियां

5 में

श्रीमान तहसीलदार साहब
पीपाड़ शहर

न्या

20/5/25

विषय:- राजस्व वाद 123/25 का जवाब प्रस्तुत करने बाबत।

प्रसंग:- श्रीमानजी के पत्रांक/2674 दिनांक 19/5/2025 के क्रम में।

महोदय

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है कि न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर में दायर राजस्व वाद अमरदान धनश्यामदा. जगदीश बनाम भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर अन्तर्गत धारा 111, 128 LR Act 1956 में बिन्दुवार जवाब निम्न प्रकार है

1. यह है कि ग्राम जवाजिया पटवार क्षेत्र विजो तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में स्थित खसरा सं. 467 रकबा 0.1398 हैक्टेयर किस्म बारानी, खसरा सं. 493 रकबा 0.2922 हैक्टेयर कुल 2 खसरे कुल रकबा 0.4320 हैक्टेयर भूमि आई है जो जमाबंदी सर्वे आबादी सम्वत् 2001 के खाता सं. 70 में प्रार्थी धनश्यामदा. जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी पीपाड़ शहर के नाम दर्ज है।

2. यह है कि प्रार्थी के खसरा नं. 467 व 493 का सीमाज्ञान हो चुका है प्रार्थी उक्त खसरात की पत्थरगड़ी करवाना चाहता है।

3. यह है कि प्रार्थी अपने उक्त खसरात की वापस सीमाज्ञान करवाने व पत्थरगड़ी करवाना चाहता है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है

4. बिन्दु सं. 4 माननीय न्यायालय से सम्बन्धित है

5. बिन्दु सं. 5 न्यायालय से सम्बन्धित है

रिपोर्ट श्रीमानजी की सेवा में पेश है

20/5/2025
पटवारी